न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा पत्र संख्या 319/2024 | रजू दिनांक 29.07.2024 | निर्णय दिनांक 02.12.2024

उनवान

1. सुभाष पुत्र मोहरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड।

वादी।

बनाम

1. मनोज
2. चन्द्रभान पुत्रान श्यामलाल जाति अहीर निवासी ग्राम विजयनगर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा।
3. सुभान्ता पुत्री श्यामलाल जाति अहीर निवासी ग्राम विजयनगर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा।
4. प्रेमदेवी पत्नी श्यामलाल जाति अहीर निवासी ग्राम विजयनगर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा।
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक, तकसीम आराजी व हु.ई.दवामी 53 88 व 188, आर0टी0एक्ट0

1. वादी ने वाद पेशकर निवेदन किया कि आराजी ख0नं. हाल 585/0.50 वाके ग्राम जोनायचा खुर्द तह0 नीमराना मे मिन वादी का 1/2 हिस्सा है व 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादीगण के पिता श्यामलाल पुत्र जयसिंह की खातेदारी मे दर्ज है। उक्त आराजी का विधिवत बंटवारा नही हुआ है प्रतिवादीगण बिना विधिक बंटवारा किये आराजी विवादित मे जबरन निर्माण करने पर आमादा है इसलिए वादी को यह वाद तकासमा मय हु0ई0 दवानी पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया बाद तामिल प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश किया की नियमानुसार विवादित आराजी मे अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे बुरी भूमि का तकासमा किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। जवाब प्रस्तुत होने पर पक्षकारान को सुना जाकर दिनांक 13.08.2024 को उक्त वाद प्रा0डिकी किया जाकर तहसीलदार नीमराना को आदेश दिये गये कि वे मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति मे नियमानुसार आराजी विवादित के कुर्रे कायम कर कुर्रे कायमी रिपोर्ट भिजवावे।

3. तहसीलदार,नीमराना ने अपने पत्र कमांक भू0अ0/2024/1758 दिनाक 30.10.2024 के द्वारा कुर्रे कायमी रिपोर्ट प्रेषित कि गई कुर्रे कायमी रिपोर्ट सामिल पत्रावली की जाकर वकील वादी को सुना गया वकील वादी ने कुर्रे कायमी रिपोर्ट के अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किए जाने का निवेदन किया। हमने वकील वादी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया कुर्रे कायमी रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नही की गई। कुर्रे कायमी रिपोर्ट के अनुसार खातेदार श्यामलाल पुत्र जयसिंह की मृत्यु को चुकी है इसलिए कानूनन मृतक श्यामलाल का हिस्सा उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 को दिया जाना कानूनसंगत है अतः वाद वादी बाबत तकासमा आराजी कुर्रे कायमी रिपोर्ट के अनुसार कुर्रे जात मे आंशिक संशोधन करते हुए डिक्री किया जाना कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

4. अतः आदेश है किः–

वाद वादी बाबत तकासमा आराजी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के समुंख अंकित आराजी वाके ग्राम जोनायचा खुर्द तह.नीमराना उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :–

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

Sidd/2024

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	वि0वि0
1.	1. सुभाषचन्द पुत्र मोहरसिंह हिस्सा पूर्ण जाति अहीर सा0 फौलादपुर खातेदार	585/1	0.25 हैक्0	तरफ दक्षिण
		किता 01	रकबा 0.25 हैक्0	
2.	1. मनोज, चन्द्रभान पुत्रान श्यामलाल, सुभान्ता पुत्री श्यामलाल, प्रेमदेवी पत्नी श्यामलाल जाति अहीर सा. विजयनगर तह0मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा संभाग खातेदार।	585/2	0.25 हैक्0	तरफ उत्तर
		किता 01	रकबा 0.25 हैक्0	

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
नीमराना (कोटपुतली–बहरोड़)
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना

पीठासीन अधिकारी :— महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा पत्र संख्या
319 / 2024

रजू दिनांक
29.07.2024

निर्णय दिनांक
02.12.2024

उनवान

1. सुभाष पुत्र मोहरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना जिला कोटपूतली—बहरोड।

वादी।

बनाम

1. मनोज
2. चन्द्रभान पुत्रान श्यामलाल जाति अहीर निवासी ग्राम विजयनगर तह0 गुण्डावर जिला खैरथल—तिजारा।
3. सुभान्ता पुत्री श्यामलाल जाति अहीर निवासी ग्राम विजयनगर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल—तिजारा।
4. प्रेमदेवी पत्नी श्यामलाल जाति अहीर निवासी ग्राम विजयनगर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल—तिजारा।
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक, तकसीम आराजी व हु.ई.दवामी 53 88 व 188, आर0टी0एक्ट0

—::निर्णय::—

पर्चा डिक्री

वाद वादी बाबत तकासमा आराजी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट डिक्री किया जाता है कि पक्षकारान के नाम के समुंख अंकित आराजी वाके ग्राम जोनायचा खुर्द तह.नीमराना उनके कब्जे काश्त खातेदारी मे निम्नानुसार रहेगी :—

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	वि0वि0
1.	1. सुभाषचन्द पुत्र मोहरसिंह हिस्सा पूर्ण जाति अहीर सा0 फौलादपुर खातेदार	585 / 1	0.25 हैक्0	तरफ दक्षिण
		किता 01	रकबा 0.25 हैक्0	
2.	1. मनोज, चन्द्रभान पुत्रान श्यामलाल, सुभान्ता पुत्री श्यामलाल, प्रेमदेवी पत्नी श्यामलाल जाति अहीर सा. विजयनगर तह0मुण्डावर जिला खैरथल—तिजारा संभाग खातेदार।	585 / 2	0.25 हैक्0	तरफ उत्तर
		किता 01	रकबा 0.25 हैक्0	

उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक—पृथक खाता व लगान कायम कर अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)